भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 980
सोमवार, 9 फरवरी, 2026 (20 माघ 1947 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

झारखंड और बिहार राज्यों में नए हवाई अड्डों का निर्माण

980. श्री खीरू महतो

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार झारखंड और बिहार राज्यों में नए हवाई अड्डे बनाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): भारत सरकार (जीओआई) ने ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 तैयार की है जिसके अनुसार, यदि राज्य सरकार सहित कोई भी हवाईअड्डा विकासकर्ता हवाईअड्डा विकसित करना चाहते हैं, तो उन्हें उपयुक्त स्थल को चिह्नित करना होगा और हवाईअड्डे के निर्माण के लिए व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन कराना होगा तथा 'साइट क्लीयरेंस' और तत्पश्चात 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

जीएफए नीति के तहत झारखंड में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए 'साइट क्लीयरेंस' के अनुरोध वाला कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बिहार सरकार (जीओबी) ने जनवरी, 2025 में राजगीर में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए 'साइट क्लीयरेंस' का अनुरोध करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव को कतिपय टिप्पणियों के साथ वापस कर दिया गया जिसमें बिहार सरकार से अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा हुआ आवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

तत्पश्चात, नवंबर, 2025 में बिहार सरकार ने सोनपुर में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए 'साइट क्लीयरेंस' का अनुरोध करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जीएफए नीति, 2008 के अनुसार, स्टेकधारकों के परामर्श से प्रस्ताव विचाराधीन है।

हवाईअड्डा परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा कई कारकों जैसे भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य मंजूरियों की उपलब्धता, वित्तीय समापन, आदि पर निर्भर करता है।

******